

न्यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम


मुं.नं 96/16 तारीख 19.8.16

उत्पान - राम स्वामी व नाम सरपंच ग्राम पंचमठेडम  
सचिव ग्राम पंचायत मठेडम

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा

पार्टी की ओर से राम मरेशी सुप्रा A.V. ने दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा पेश किया। प्रस्तुत शपथपत्र व जमा बन्दी का अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जीए ये सम्मन से तालब कर पत्रावली दिनांक 26.8.16 को पेश हो।

2470-71  
19.8.16

  
उपजिला कलेक्टर  
टोडाभीम (करौली)

26.8.16 पार्टी वकील उप०। प्रतिवादी की ओर से श्री देवेन्द्र कुमार शर्मा Adv. ने वकालतनामा पेश किया। वास्ते जम्बब दि. 29.8.16 को पेश हो।

29.8.16 वकूलाय उप०। वास्ते जम्बब दि० 30.8.16 को पेश हो।

30.8.16 वकूलाय उप०। प्रतिवादी वकील ने जम्बब दावा एवं दा० 07 R.11 CPC पेश की। गवर्नर दिनाई गई। वास्ते कटस दा० दिनांक 6.9.16 को पेश हो।

6.9.16 वकूलाय उप०। दा० की कटस सुनी गई। वास्ते आदेश दिनांक 14.9.16 को पेश हो।

# न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

दिनांक	कार्य अहकाम
24.5.18	<p>पत्रावली राजस्व लोक अदालत - पत्रावली              डार शिविर मंडेरु में प्रस्तुत हुई/ कादीवदी              एवं सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत में              उपस्थित / सरपंच ग्राम पंचायत मंडेरु में              में पत्र प्रस्तुत किया है कि आराजी खस्ता              नम्बर 859 रकबा 0.08 है. में रास्ता              निर्माण के लिए कोई स्वीकृति नहीं              निकाली है यदि रास्ता निर्माण के लिए              प्रस्ताव लिया है। यह मामला खस्ता नं.              859 रकबा 0.08 है. में गीवाल सड़क के              निर्माण को रोकने के उद्देश्य से ही प्रस्तुत              किया है। जब ग्राम पंचायत मंडेरु अंत              भूमि में रास्ता निर्माण नहीं करा रही है              तो इस प्रकार में आगे कार्यवाही जारी              रखना उचित नहीं है। प्रकरण              में आगे कार्यवाही जारी रखते हुए वर्तमान              स्टेज पर ही कार्यवाही द्राप की जाती है।              पत्रावली फैसल सुमार लोक नम्बर से कम              लोक दायित्व दफतर हो।              निर्णय आज दिनांक 24.5.18 को खुले              न्यायालय में सुनाया गया।</p>

उपजिला कलक्टर  
 टोडाभीम (करोली)